न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 92/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनेश कुमार पुत्र श्रीलालचंद जाति अग्रवाल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर ।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संतोषदेवी पुत्री श्रीलालचंद जाति अग्रवाल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. आशादेवी पुत्री लालचंद जाति अग्रवाल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. सत्यनारायण पुत्र लालचंद जैन जाति अग्रवाल निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर। (मृतक)
   3/1 शिमला बेबा सत्यनारायण जाति अग्रवाल
   3/2 रीना पुत्री सत्यनारायण जाति अग्रवाल
   3/3 ममता पुत्री सत्यनारायण जाति अग्रवाल
   } निवासी सांगानेर निवासी जयपुर (राज0)
4. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

..............रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.12.2011 उपजिला कलक्टर चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर उनवानी संतोषदेवी बनाम सत्यनारायण बगैरह मु0नं0 127/2011 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 7.1.2008 ग्राम चौथ का बरवाडा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री अब्दुल बहाव वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री सुरेश कुमार वर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 01.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के पिता लालचंद के

फौत होने के बाद अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 3 (दिनश व सत्यनारायण)के नाम ग्राम पंचायत द्वारा विरासतन नामान्तरकरण संख्या 350 तस्दीक किया है। जिसकी अपील तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई । तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2011 पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 7.1.2008 को निरस्त करते हुये इस निर्देश के साथ तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया कि मृतक प्रभूदयाल के वारिसान की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.8.2007 को नामान्तरकरण के संबध में निर्णय पारित किया है जिसमें प्रभूदयाल की बेबा कंचन देवी द्वारा उसके पोत्रों सत्यनारायण व दिनेश कुमार के हक में लिखी गई वसीयत को आधार मानकर नामान्तरकरण खोलने का निर्णय पारित किया है, इस निर्णय की तहत अदालत उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा के समक्ष चुनौती देते हुये अपील पेश नहीं की है बल्कि सीधे नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 7.1.2008 को चुनौती दी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 20.8.2007 आज तक यथावत है। इस निर्णय के विरूद्ध जब कोई अपील ही पेश नहीं की गई तो नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 7.1.2008 के विरूद्ध पेश की गई अपील पर निर्णय देकर तहत अदालत ने अहम भूल की है। इसलिऐ तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। इसके अलावा तहत अदालत के समक्ष रिकार्ड पर यह साक्ष्य मौजूद था कि खातेदार प्रभूदयाल की मृत्यु पर उसकी बेबा मुं0 कंचनदेवी के नाम पूर्व में ही दिनांक 11.3.1986 को नामान्तरकरण संख्या 1722 तस्दीक किया जा चुका था जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 में किया जा चुका था। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड बनाते वक्त इसका इन्द्राज नहीं किया गया परन्तु वास्तव में कंचनदेवी इस भूमि की खातेदार काश्तकार थी और उसने यदि वसीयत अपने दोनो पोत्रों सत्यनाराण व दिनेश के हक में की थी तो उसके आधार पर ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण बिल्कुल सही तस्दीक किया था । तहत अदालत ने वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया है जो न्याय संगत नहीं है। यह कि तहत न्यायालय के समक्ष रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील पेश की थी जिसमें लालचंद की मृत्यु हो जाने संबधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इसलिऐ लालचंद की मृत्यु होना स्थापित नहीं है तो फिर उन्हें अपील पेश करने का ही अधिकार नहीं था, क्यों कि पौत्रीयों का जब ही हक होता है जब उनका पिता पूर्व में ही मृत हो गया हो । इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मु0 कंचनदेवी के हक में खोले गये नामान्तरकरण को भी चुनौती नहीं दी गई है। मु0 कंचनदेवी ने उसके हक में नामान्तरकरण खोले जाने के बाद 12 बीघा 5 विस्बा जमीन को सुरेन्द्र कुमार व दानमल को विक्रय कर दिया। यह खाता संख्या 293 की भूमि थी। मुं0 कंचनदेवी सम्पूर्ण मालिक थी, इस हैसियत से उसने भूमि का विक्रय कर दिया था, जिसको भी चुनौती रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने नहीं दी है। इसलिऐ निर्णय निरस्तनीय है। मियांद की उज्रदारी के संबध में भी अपीलाधीन आदेश में विवेचना नहीं की गई है। तहत अदालत ने वसीयत को शून्य मानकर अहम भूल की है, ऐसा दस्तावेज जो न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ उसके संबध में विवेचना करना न्याय की मंशा के विपरीत है। मुं0 कंचनादेवी के द्वारा की गई वसीयत को रैस्पोडेन्ट ने चुनौती नहीं दी है। तहत अदालत द्वारा इस वसीयत को शून्य मानना व विधि के प्रतिकूल है। मृतका मुस0 कंचनदेवी को खातेदार होने के नाते वसीयत करने का अधिकार था, लिहाजा निर्णय निरस्तनीय है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरे अपील दिनांक 15.12.2011 न्यायालय उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 7.1.2008 यथावत रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2011 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि विवादित आराजी विरासतन आराजी है। यह भूमि कंचनदेवी की स्वअर्जित भूमि नहीं है एवं विरासतन भूमि के संबध में कोई भी वसीयत नहीं लिख सकता है। वास्तविक्ता यह है कि नामान्तरकरण संख्या 350 प्रभुदयाल पुत्र भूरामल के वारिसान के नाम दर्ज हुआ है जबकि पंचायत द्वारा पारित आदेश में वसीयत कंचन देवी द्वारा कराये जाने का जिक्र है। इसके अलावा प्रभुदयाल के पुत्र लालचंद के जीवित होने अथवा मृत्यु होने का कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं है। ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने दौराने नामान्तरकरण स्वीकृती न तो विधिवत वारिसानों की जांच की गई ना ही विधिक वारिसानों को सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिया गया न ही मु0 कंचनदेवी पत्नि प्रभुदयाल रिकार्ड में दर्ज थी। ग्राम पंचायत को उत्तराधिकार तय करने का अधिकार नहीं है। न ही कथित वसीयत रजिस्टर्ड है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा मृतक प्रभुदयाल के वारिसान की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार के लिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2011 के जरिये रिमाण्ड किया गया है जो कानून के दायरे में रहकर विधि संगत पारित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 350 के कॉलम संख्या 14 व 16 से जाहिर है कि खातेदार प्रभुदयाल की मृत्योपरान्त उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। किन्तु ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने इस पर मु0 कंचनदेवी पत्नी प्रभुदयाल द्वारा अपने पो़त्रों सत्यनारायण व दिनेश के हक में की गई वसीयत का जिक्र करते हुये आदेश दिनांक 7.1. 2008 के द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि " पंचायत निर्णय दिनांक 20.8.2007 के द्वारा मृतक खातेदार के पौत्रों सत्यनाराण एवं दिनेश कुमार पुत्रान लालचन्द के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाता है" जबकि प्रभुदयाल के पुत्र लालचंद का जीवित एवं मृत होने का कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है। इसके अलावा दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति वसीयतकर्ता कंचन का नाम रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था और न ही यह भूमि कंचन देवी की स्वअर्जित भूमि है। जबकि लालचंद के दो पुत्र सत्यनारायण व दिनेश कुमार के अलावा दो पुत्री संतोष देवी व आशादेवी भी है। जो अपनी पैतृक भूमि में वखूबी दखल रखती है। वास्तव

में ग्राम पंचायत को उत्तराधिकार तय करने का आधिकार नहीं है और न ही वसीयत जैसे जटिल बिन्दु को तय करने का अधिकार है। विभिन्न माननीय न्यायालयों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोदनामा, उत्तराधिकार के जैसे जटिल बिन्दुओं का विनिश्चय करना सम्भव नही है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। नामान्तरकरण की प्रकिया एक सरसरी प्रोसिंडिग है जिससे हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। हमारे ख्याल से विरासतन हक हकूको पर प्रत्येक विधिक वारिसान का समान हक होता है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2011 के जरिये प्रकरण तहसीलदार को मृतक प्रभुदयाल के वारिसान की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12. 2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official